

From,

Sudhir Kumar-V, H.J.S.
District Judge,
Mainpuri

To,

The Registrar General,
Hon'ble High Court of Judicature at
Allahabad

Subject:- Information regarding Purchase of Plot

Sir,

With reference to the above captioned subject and in compliance of Hon'ble Court's C.L. No. 25/Admin. (A) dated 13.07.1998, I have the honour to submit that I intend to purchase a Plot (immovable Property) for which the information to be furnished in the light of above mentioned C.L. is being mentioned here as under:-

1	Date of Joining of Service	15.12.2008
2	Present gross salary and take home salary	Gross Salary:- 322622/- Take home Salary:- 239400/-
3	Details of purchase (movable property exceeding to value Rs. 10,000/- and immovable property) made by him earlier with complete details, date of purchase, amount spent etc.	Details have already been submitted to the Hon'ble Court through Property Statement
4	If any advance or loan taken from the High Court its amount and in what manner the loan will be repaid namely, the number of installments, its amount and till what date the deduction will be made etc.	No advance has been taken from the Hon'ble Court
5	If any loan taken from Bank etc., details of amount, mode or repayment, period of deduction, number and amount of installments etc.	Details have already been submitted to the Hon'ble Court through Property Statement
6	Regarding purchase of a second hand car name of the vehicle, its model, cost price etc. date of the first purchase (month and year) of vehicle from car dealer to the first purchaser and a copy of the insurance policy showing the amount for which the vehicle was insure prior to its purchase by the officer.	NIL
7	Detail of the property (Area of plot, locality, City/District if building or flat then its size)	Area of Plot - 160.75 Sq. Mtr situated at Deoband District Saharanpur (UP)
8	Name and full address of the dealer/seller	Smt. Hamida Begum W/o Imran R/o Mohalla Sarai Peeradgaan , Deoband Pargana /Tehsil Deoband District Saharanpur
9	Whether the dealer is regular and reputed one	Yes
10	Whether the Judicial officer is related to the seller in any way and whether and case against the seller is pending in or decided by the Judicial Officer.	The seller is not related to the Judicial Officer (undersigned) in any way and no case against the seller is pending in or decided by the Judicial Officer (undersigned).
11	Details of source of the amount with papers in support thereof.	Cost of the plot shall be paid from the amount of arrears (Rs. 1800000/- approx) received by the implementation of SNJPC that shall be credited in my saving account. Copy of Pay Slip enclosed.

Submitted for kind perusal of the Hon'ble Court.

Date :- 02.09.2023

Yours faithfully

(Sudhir Kumar)
District Judge,
Mainpuri

वेतन/अवकाश वेतन पर्ची
शिविर कार्यालय, कोषागार निदेशालय, उत्तर प्रदेश
नवीन कोषागार भवन (प्रथम तल) कचेहरी रोड, प्रयागराज

संख्या 1510 /वे०प्र०प०/न्यायिक/ई०आर०पी०-5-368

दिनांक: 15/07/23

श्री सुधीर कुमार V
जनपद न्यायाधीश पीलभीत

को सूचित किया जाता है कि उ०प्र०, शासन नियुक्ति अनुभाग-4 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-359/दो-4-2023-45(1)2020 दिनांक 30.06.2023 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-534/दो-4-2023-45(1)/2020 दिनांक 07.07.2023 के अधीन दी गई तारीखों से निम्नलिखित मासिक दरों पर वेतन/अवकाश वेतन और भत्ते लेने का हकदार है।

✓ पूर्व आहरित धनराशि के समायोजन एवं कटौतियों से प्रतिबंधित

ब्योरे	वेतनमान/ पे मैट्रिक्स में मूल वेतन	मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते	योग	टिप्पणी
किस तारीख से				नोट-1:- मूलवेतन पर मंहगाई भत्ते का भुगतान निम्नलिखित दरों पर देय होगा। 01.01.2016-0%, 01.07.2016-2%, 01.01.2017-4%, 01.07.2017-5%, 01.01.2018-7%, 01.07.2018-9%, 01.01.2019-12%, 01.07.2019-17%, 01.01.2020-17%, 01.07.2020-17%, 01.01.2021-17%, 01.07.2021-31%, 01.01.2022-34%, 01.07.2022-38%, 01.01.2023-42%,
1-1-16	172960-	टिप्पणी के अनुसार		
1-3-16	178150-			
1-3-17	183490-			
1-3-18	188990-			
1-3-19	194660-			
1-7-19	205070-			नोट-2:-शासनादेश दिनांक 30.06.2023 के प्रस्तर 03 में दी गयी व्यवस्थानुसार दिनांक 01.01.2016 से अनुमन्य 30% अन्तरिम राहत के रूप में भुगतान की गयी धनराशि का समायोजन करते हुए अवशेष का भुगतान एकमुश्त किया जाना है।
1-7-20	211920-			
1-7-21	217560-			
1-7-22	224100-			नोट-3:-न्यायिक अधिकारियों को देय अन्य भत्तों का भुगतान पूर्व प्राधिकृत दरों के अनुसार अनुमन्य होगा।
	कार्यभार			नोट-4:-01.01.2016 के पश्चात् अवकाश नगदीकरण का भुगतान निम्नवत देय होगा :
	दायित्व			1- दिनांक 1-2-16 से 30 दिन, मू०वे० 172960-
	पूरा			2- दिनांक 1-5-20 से 30 दिन, मू०वे० 205070-
	रूप			3- दिनांक 1-7-22 से 30 दिन, मू०वे० 217560-
				4- दिनांक से से 30 दिन, मू०वे०
				5- दिनांक से से दिन का से०नि० न० मू० वे०

उ-7 वेतनमान/पे मैट्रिक्स (199100-224100) है प्रत्येक वर्ष की प्रत्येक तारीख को वेतन-वृद्धि देय होती है और अन्यथा कोई आदेश न होने पर अधिकतम रु० की स्थिति पर पहुँचने तक वेतन-वृद्धि ली जा सकती है।

XXXX

अपर निदेशक/उप निदेशक

- टिप्पणी- (1) इस बात का विशेष रूप से अनुरोध किया जाता है कि उपरोक्त दरों के अनुसार बनाये गये प्रथम वेतन बिल के साथ यह पर्ची लगा दी जाय और प्रत्येक वेतन बिल के ऊपरी भाग पर हकदारी पंजी पृष्ठ संख्या लिखी जाये।
(2) यदि अन्यथा न कहा गया हो तो अन्तिम वेतन-पत्र में उल्लिखित निधि अभिदानों की कटौतियां और सरकार को देय राशियों की वसूलियां कर लेनी चाहिये।

पृष्ठांकन सं० : /वे०प्र०प०/न्यायिक/ई०आर०पी० 5-368 तद् दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कोषागार-

पीलभीत विशेष सचिव, ईरला चेक अनुभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।

विशेष सचिव (वित्त) विधान सभा/विधान परिषद्/राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सूचनार्थ प्रति प्रेषित।

जब कभी यह इस सरकारी अधिकारी के नाम कोई वेतन प्रमाण-पत्र जारी करें उसमें ऊपर दिया गया वेतन का ब्योरा देना न भूलें।

अपर निदेशक/उप निदेशक